



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति

माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायमूर्ति

विविध अपील क्रमांक 149/2000

अपीलार्थी/अनावेदक क्रमांक 3 :

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा मंडल प्रबंधक, पी.बी. नंबर 17, गीतांजलि
भवन, मेन रोड, कोरबा।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावेदार:

नथानीएल, आयु लगभग 60 वर्ष, आत्मज पात्रस मिंज, निवासी ग्राम, थाना व तहसील
कुनकुरी, जिला जशपुर नगर,

प्रत्यर्थी क्र. 2/अनावेदक क्र.1:

दीनदयाल, आयु 54 वर्ष, आत्मज एस.एम. अग्रवाल

प्रत्यर्थी क्रमांक 3/अनावेदक क्रमांक 2:

राज कुमार उर्फ राजू, आयु 27 वर्ष, आत्मज दीनदयाल अग्रवाल,



दोनों निवासी ग्राम, थाना व तहसील बगीचा, जिला जशपुर

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत विविध अपील

उपस्थिति:

श्री अली असगर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।

श्री राजेंद्र त्रिपाठी, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता।

श्री दशरथ प्रजापति, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

(20 फरवरी, 2008)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा पारित किया गया।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 1012/2000

(अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी की क्षमा हेतु आवेदन) पर सुना गया।

2) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर सम्यक् विचारोपरान्त, हम संतुष्ट हैं कि अपीलार्थी/बीमा कंपनी अपील दायर करने में हुई देरी के लिए पर्याप्त कारण दर्शाने में सफल रही है।

3) अतः, अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 1012/2000 को स्वीकार किया जाता है और अपील दायर करने में हुई देरी को एतद्द्वारा क्षमा किया जाता है।



- 4) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को ग्राह्यता के प्रश्न पर सुना गया।
- 5) यह बीमाकर्ता की अपील मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जशपुरनगर (संक्षेप में "अधिकरण") द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 13/97 में पारित निर्णय/अधिनिर्णय दिनांक 17.9.1999 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
- 6) दावेदार-नथानीएल द्वारा अपने पुत्र कुलदीप मिंज की दिनांक 11.12.1997 को हुई मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए मांगे गए 12,30,000/- रुपये के प्रतिकर के विरुद्ध, अधिकरण ने दावेदार को 4,27,500/- रुपये का प्रतिकर प्रदान किया।
- 7) इस अपील में अपीलार्थी-बीमा कंपनी मुख्य रूप से अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की मात्रा को चुनौती दे रही है।
- 8) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अली असगर ने निष्पक्षता और स्पष्टता से स्वीकार किया कि अपीलार्थी-बीमा कंपनी ने सभी उपलब्ध प्रतिवादों पर दावे का विरोध करने हेतु मोटर यान अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 170 के तहत अनुमति प्राप्त करने के लिए अधिकरण के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। विद्वान अधिवक्ता ने, हालांकि, यह तर्क दिया कि अनुमति प्रदान करने हेतु ऐसा आवेदन अपीलार्थी-बीमा कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय में अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है और इसे अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 153/2001 के रूप में पंजीकृत किया गया है।
- 9) अपीलार्थी-बीमा कंपनी को सभी उपलब्ध प्रतिवादों पर दावे का विरोध करने के लिए अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 170 के तहत अनुमति प्रदान न किए जाने की



स्थिति में, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध निकोलेट्टा रोहतागी एवं अन्य, 2003 (3) टी.ए.सी. 293 (एससी) में सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत को देखते हुए, अपीलार्थी-बीमा कंपनी को इस अपील में प्रतिकर की मात्रा या उपेक्षा संबंधित निष्कर्ष को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसमें कंडिका 31 एवं 32 में स्पष्ट रूप से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:-

"31. हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि जब तक 1988 अधिनियम की धारा 170 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तें पूरी नहीं होती हैं, बीमा कंपनी को गुण-दोष के आधार पर अधिनिर्णय को चुनौती देने का अपील का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, ऐसी स्थिति में जहां दावेदारों और बीमित व्यक्ति के बीच मिलीभगत हो या बीमित व्यक्ति दावे का विरोध नहीं करता है और आगे, अधिकरण बीमा कंपनी को दावे का विरोध करने के लिए पक्षकार नहीं बनाता है, ऐसे प्रकरणों में बीमाकर्ता इसके लिए स्वतंत्र है कि वह अधिकरण से बीमित व्यक्ति या उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध दावा किया गया है, को उपलब्ध आधारों पर दावे का विरोध करने की अनुमति मांगे। यदि अनुमति प्रदान की जाती है और बीमाकर्ता को गुण-दोष के आधार पर दावे का विरोध करने की अनुमति दी जाती है, तो उस स्थिति में बीमाकर्ता के लिए अधिनिर्णय के विरुद्ध गुण-दोष के आधार पर अपील दायर करना संभव है, यदि वह व्यथित हो। किसी भी प्रकरण में जहां अनुमति हेतु आवेदन त्रुटिपूर्ण ढंग से खारिज कर दिया जाता है, बीमाकर्ता 1988 के अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आधारों पर अपील दायर करते समय केवल आदेश के उस हिस्से को चुनौती दे सकता है। लेकिन अनुमति के लिए ऐसा आवेदन सद्भावपूर्वक होना चाहिए और उस स्तर पर दायर किया जाना चाहिए जब बीमित व्यक्ति को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित हो। जहाँ तक दावेदार द्वारा कपट से प्रतिकर प्राप्त करने का प्रश्न है, यह अब अनिर्णीत विषय नहीं है कि कपट संपूर्ण कार्यवाही को दूषित कर देता है और ऐसे प्रकरणों में बीमाकर्ता इसके





लिए स्वतंत्र है कि वह अधिनिर्णय के सुधार हेतु अधिकरण में आवेदन करे।

32. इन तर्कों के आधार पर, इस प्रश्न पर हमारा उत्तर यह है कि भले ही बीमित व्यक्ति द्वारा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध 1988 के अधिनियम की धारा 173 के तहत कोई अपील अधिमानित नहीं की गई है, फिर भी बीमाकर्ता के लिए प्रतिकर की मात्रा के साथ-साथ दुर्घटनाकारी वाहन की उपेक्षा या योगदायी लापरवाही के संबंध में निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए अपील दायर करना अनुमेय नहीं है।"

10) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त सिद्धांत को देखते हुए, अपीलार्थी-बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील खारिज होने योग्य है।

11) अपीलार्थी-बीमा कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय में अधिनियम की धारा 170 के तहत आवेदन दायर करना अपीलार्थी-बीमा कंपनी के लिए सहायक नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 170 के तहत अनुमति अधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाही में मांगी जानी चाहिए न कि अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील में।

12) अतः, अपील विफल होती है और एतद्वारा संक्षिप्त रूप से खारिज की जाती है।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक



प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

